भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1178

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023 / 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

ई-श्रम पोर्टल की विशेषताएं

1178. श्री देवजी पटेल:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री बृजेन्द्र सिंह:
डॉ. संघमित्रा मौर्य:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री राजेश वर्मा:
श्री पी.आर.नटराजन:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इस पोर्टल के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण कार्य में वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो इसमें किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या ई-श्रम पोर्टल को पूरे देश में लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 94 प्रतिशत कामगारों को 10,000 रुपये से कम मजदूरी मिल रही है और वे गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं अथवा गरीबी रेखा के निकट आ गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। इसमें कोई असंगठित कामगार पोर्टल पर 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों में 400 व्यवसायों के तहत स्व-घोषणा के आधार पर स्वयं को पंजीकृत करा सकता है। ईश्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है।

जारी..2/-

दिनांक 04 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 29.20 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

ईश्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और कामगारों को उपलब्ध कराए गए लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) पोर्टल में पंजीकरण पूर्ण रूप से आधार सत्यापित और आधार सहबद्ध है। कोई भी असंगठित कामगार स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सकता या सकती है।

(ii) ईश्रम में प्रवासी कामगार का पारिवारिक ब्यौरा दर्शाने की विशिष्टता है।

(iii) ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत सन्निर्माण कामगारों का ब्यौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संबंधित भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड में उनके पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए साझा किया जाता है।

(iv) ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कोई असंगठित कामगार अपने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता/सकती है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता/सकती है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले को एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

(v) ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। सार्वभौम खाता संख्या (ई-श्रम) का उपयोग करके, कोई भी असंगठित कामगार आसानी से मानधन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।

(vi) असंगठित कामगार को कौशल वृद्धि और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(vii) ई-श्रम को मायस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। मायस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को एक स्थान पर खोजने और पाने की सुविधा प्रदान करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अभिनव, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है। यह मंच नागरिकों को उनके लिए सही सरकारी योजनाओं को खोजने में सहायता करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। इस एकीकरण के माध्यम से, ई-श्रम में पंजीकृत सभी लाभार्थी उन योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।

******